UPBJ010047292023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 847/2023

सरकार **बनाम** हिमांशु।

मु0अ0सं0–438/2021

धारा–302/34, 427 भा0दं0सं0

थाना– नूरपुर, जिला बिजनौर।

02.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त हिमांशु मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 302/34, 427 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक–02.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

उपरोक्तानुसार अभियुक्त हिमांशु के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 427 विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की। मुकदमा वादी/साक्षी के समन जारी हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.08.2023 को पेश हो।

दिनॉक–02.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

Digitally signed by Nitender Kumar
Date: 2023.08.02 16:11:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPBJ010047292023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 847/2023

सरकार **बनाम** हिमांशु।

मु0अ0सं0–438/2021

धारा–302/34, 427 भा0दं0सं0

थाना– नूरपुर, जिला बिजनौर।

आरोप

मैं निजेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4, बिजनौर आप **अभियुक्त हिमांशु** को निम्नवत आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 22.11.2021 को समय 17:00 बजे, स्थान ग्राम अहीरपुरा के पास नूरपुर बिजनौर रोड पर थाना नूरपुर जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत आपने सहअभियुक्तगण अनिल उर्फ राजा व रोबिन कुमार के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा अतुल त्यागी के भाई विपुल त्यागी की मोटर साईकिल में जानबूझकर उसकी हत्या करने के आशय से TUV पंजीयन सं0 यू0पी0–20 बी0डी0–1241 से टक्कर मारकर चोटें पहुंचायी उक्त चोटों के परिणामस्वरूप विपुल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी अतुल त्यागी के भाई विपुल त्यागी की मोटर साईकिल में जानबूझकर TUV पंजीयन सं0 यू0पी0–20 बी0डी0–1241 से टक्कर मारकर चोटें पहुंचायी गयी, जिसमें मोटर साईकिल क्षतिग्रस्त हो गयी। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक–02.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक–02.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681